

कार्यालय-नगर परिषद भभुआ

आम सूचना

अतिअल्पकालीन अधिसूचना संख्या-09/2024-25

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-4081, दिनांक-26.12.2024 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश के आलोक में स्वच्छता साथी का चयन किया जाना है, जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

स्वच्छता साथी कौन होंगे-

1. स्वच्छता साथी कोई भी भारतीय हो सकता है, परन्तु लोकल व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. अभ्यर्थी की उम्र 40 वर्ष से अधिक ना हो एवं मैट्रीक पास होना चाहिए।
3. अभ्यर्थी की आवाज साफ हो ताकि वे अच्छे से Communicate कर सकें।
4. अभ्यर्थी को स्वच्छता से संबंधित कार्यों में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
5. अभ्यर्थी के रूप में Waste Picker, Citizen Leader, SHG member, Swachhagarhi, Sanitation worker, Brand Ambassadors एवं NULM, ASHA, Anganwadi worker, NGOs youth, Community Based Organizations, RWAs से संबंधित व्यक्ति या अन्य कोई भी आवेदन कर सकते हैं।
6. कार्यालय नगर परिषद को कुल 10 स्वच्छता साथी की आवश्यकता है।
7. साक्षात्कार दिनांक-31.01.2025 को नगर परिषद भभुआ के सभाकक्ष में 11:30 बजे पूर्वाह्न से आयोजित की जाएगी।
8. अभ्यर्थी आवेदन पत्र कार्यालय नगर परिषद भभुआ से आवेदन पत्र प्राप्ति काउन्टर एवं सम्पर्क नम्बर-06189291107 से प्राप्त कर सकते हैं।
9. अभ्यर्थी अपना आवेदन दिनांक-28.01.2025 तक मूल दस्तावेज की स्वअभिप्रमाणित फोटो कॉपी के साथ नगर परिषद भभुआ कार्यालय स्थित प्राप्ति काउन्टर पर अपराह्न 05:00 बजे तक जमा कर देंगे।
10. सभी अभ्यर्थी अपना मूल दस्तावेज (यथा-अंक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड) साक्षात्कार के समय अवश्य लाएंगे।

नोट :-विस्तृत जानकारी के लिए कैमूर जिला के बेबसाईट <https://kaimur.nic.in> पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद भभुआ
21/01/25

1. स्वच्छता साथी कौन होंगे—

- i) स्वच्छता साथी कोई भी भारतीय हो सकता है, परन्तु लोकल व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ii) अभ्यर्थी की उम्र 40 वर्ष से अधिक ना हो मैट्रीक पास होना चाहिए।
- iii) अभ्यर्थी की आवाज साफ हो ताकि वे अच्छे से Communicate कर सके।
- iv) अभ्यर्थी को स्वच्छता से संबंधित कार्यों में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- v) अभ्यर्थी के रूप में Waste Picker, Citizen Leader, SHG member, Swachhagarhi, Sanitation worker, Brand Ambassadors एवं NULM, ASHA, Anganwadi worker, NGOs youth, Community Based Organizations, RWAs से संबंधित व्यक्ति या अन्य कोई भी आवेदन कर सकते हैं।

2. स्वच्छता साथी के चयन का उद्देश्य—

- i) शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नागरिकों को जागरूक करना एवं उन्हें उत्तरदायी बनाना।
- ii) शहर को कचरा मुक्त बनाने में नागरिकों की भूमिका पर उन्हें जागरूक करना।
- iii) नागरिकों के बीच triggering करना और कचरे के लिए असहिष्णुता की भावना को बढ़ाना।
- iv) नागरिकों को स्वच्छ परिवेश के लाभों के प्रति सचेत करना।
- v) कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए वांछित व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित करना।

3. अपेक्षित परिणाम—

- i) श्रोत पर कचरे का पृथक्करण करने वाले घरों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।
- ii) अपने आस-पास की सफाई बनाए रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी।
- iii) कचरे के Collection एवं Transportation के उपयोग हेतु समुदाय प्रेरित होंगे।
- iv) नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन में बदलाव।
- v) एकल उपयोग के हानि कारक प्रभाव के प्रति जागरूक होंगे एवं कचरे को कम करने के लिए प्रेरित होंगे।
- vi) नागरिक समय-समय पर Septic tank एवं desludging को करवाने हेतु प्रेरित होंगे।

4. स्वच्छता साथी के चयन की प्रक्रिया

- i) स्वच्छ साथी को open advertisement के माध्यम से engage किया जाना है :-

- a) चयन से संबंधित आवेदन की मांग से संबंधित सूचना निकाय स्तर पर कार्यालय के सूचना पट एवं अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर लगाया जाएगा।
- b) Criteria एवं Benefits की विवरणी सूचना में संलग्न होनी चाहिए।
- ii) प्राप्त हुए आवेदन की Selection Criteria के आधार पर जांच एवं मिलानकर Final list बनायी जाएगी।
- iii) सभी अभ्यर्थियों का one to one interview किया जाएगा।
- iv) Interview के उपरान्त चयनित अभ्यर्थी के साथ Agreement किया जाएगा।
- v) Agreement के उपरान्त उन्हें वार्ड आवंटित किया जाएगा।
- vi) सभी चयनित उम्मीदवार का Training करवाया जाएगा और उन्हें कार्य, जिम्मेदारी एवं प्रतिवेदन के संबंध में जानकारी दी जाएगी।
- vii) चयनित उम्मीदवार को कार्य की जिम्मेदारी दी जाएगी।
- viii) निकाय स्तर पर पदस्थापित स्वच्छ साथी को इस तरह से वार्ड की जिम्मेदारी दी जाएगी की सभी वार्ड आच्छादित हो जाय।(एक से अधिक वार्ड की जिम्मेदारी)

5. स्वच्छता साथी के कार्य की जिम्मेदारी

- i) अपने संबंधित वार्ड के सभी घरों का भ्रमण करना एवं स्वच्छता से संबंधित जानकारी जुटाना।
- ii) घर के मुखिया को Waste Segregation एवं Home Composting करने हेतु प्रेरित करना।
- iii) घर के मुखिया को सूखे एवं गीले कचरे को अलग-अलग कर निकाय की Collection वाली गाड़ी को देने हेतु प्रेरित करना।
- iv) घर के मुखिया एवं अन्य सदस्यों से मिलकर समस्या का निराकरण करना एवं उन्हें समझाना।
- v) Single Use Plastic एवं Plastic Carry Bag के उपयोग को बंद करने हेतु प्रेरित करना।
- vi) घर पर ही Waste से Compost बनाने की विधि बताना एवं Compost बनाने हेतु प्रेरित करना।
- vii) वार्ड में छोटे स्तर पर छोटे-छोटे समूह की बैठक कर कचरे के फायदे एवं उससे स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव पर चर्चा करना।
- viii) SHG के समूह की होने वाली Monthly बैठक में सम्मिलित होना तथा स्वच्छता विषय पर चर्चा करना।
- ix) Community Resource Person NULM के साथ समन्वय स्थापित करना।
- x) वार्ड में समाज के प्रबुद्ध एवं प्रमुख व्यक्तियों को Citizen Leader के तौर पर तैयार करना।
- xi) वार्ड पार्षद एवं वार्ड स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

M

pu

W

- xii) वार्ड के सभी Resident Welfare Association (RWA)से संपर्क स्थापित करना एवं Source Segregation को बढ़ावा देना।
- xiii) वार्ड के सभी विद्यालयों में शौचालय की सफाई को विद्यालय के Management Committee के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सुनिश्चित करवाना।
- xiv) निकाय स्तर पर निर्मित Community Toilet एवं Public Toilet की स्थिति के लोक स्वच्छता पदाधिकारी को अवगत करना एवं feedback register करने हेतु नागरिकों को प्रेरित करना।
- xv) स्वच्छ सर्वेक्षण की सभी गति विधियों में सहयोग प्रदान करना।
- xvi) Citizen Feedback हेतु घर-घर जाकर App के माध्यम से feedback register करना।
- xvii) विभिन्न प्रकार के Poster, Banner करने लगवाने, नुक्कड़ नाटक Video show, Triggering में सहयोग करना।
- xviii) वार्ड के सभी Bulk Waste Generator जो 100 कि.ग्रा. से ज्यादा Waste प्रतिदिन उत्पन्न करते हो कि पहचान करना।
- xix) समय-समय पर Septic tank का desludging करवाने हेतु प्रेरित करना।
- xx) घर एवं सामुदायिक शौचालय को साफ रखने, किचन से निकलने वाले पानी का सही उपयोग एवं Toilet से निकलने वाले पानी से होने वाले नुकसान पर नागरिकों को जागरूक करना।

6 स्वच्छता साथी को मिलने वाले लाभ-

- i) कार्य अवधि पांच घंटे प्रतिदिन न्यूनतम होगी।
- ii) प्रतिदिन की उपस्थिति संधारित की जाएगी।
- iii) छुट्टी हेतु निकाय की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- iv) मानदेय प्रत्येक माह में एक से पाँच तारीख तक देय होगा।
- v) मानदेय कर्मों के Bank Account में ही भेजा जाएगा।
- vi) प्रतिदिन रू0 300.00 के दर से प्रतिमाह 20 दिन का मानदेय $300 \times 20 = 6000.00$ रू0 मानदेय के रूप में देय होगा।
- vii) स्वच्छता साथी को Contractual Basis पर एक वर्ष के लिए Hire किया जाएगा, जिसकी अवधि अक्टूबर, 2026 तक बढ़ाई जा सकती है।
- viii) प्रत्येक स्वच्छ साथी को प्रत्येक वर्ष में 200 दिनों के लिए engage किया जाएगा।
- ix) 200 कार्य दिवस प्रत्येक माह में 20 दिन का होगा जो वर्ष के किसी भी 10 माह (स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए) में मान्य होगा।
- x) सभी स्वच्छ साथी को Monitor करने की जिम्मेदारी लोक स्वच्छता पदाधिकारी की होगी।
- xi) छुट्टी एवं अन्य समस्याओं से संबंधित मामले लोक स्वच्छता पदाधिकारी देखेंगे।







xii) किये गये कार्य की समीक्षा प्रत्येक माह की जाएगी एवं लगातार तीन माह तक कार्य संतोषजनक नहीं होने पर हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।

नोट:- यह किसी भी प्रकार से Permanent Position नहीं है, अतः किसी भी तरह का Claim मान्य नहीं होगा।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद भुआ

ज्ञापांक- 48/1910 दिनांक- 21.01.2025

- प्रतिलिपि :-रोकडपाल नगर परिषद भुआ को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आम सूचना सूचना पट्ट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि :-प्रधान सहायक, नगर परिषद भुआ को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-नगर प्रबंधक, नगर परिषद भुआ को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, नगर परिषद भुआ को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-प्रखंड विकास पदाधिकारी, भुआ एवं अंचलाधिकारी, भुआ को सूचनार्थ समर्पित। अनुरोध है कि अपने-अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि :-जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, कैमूर (भुआ) को सादर सूचनार्थ समर्पित। अनुरोध है कि इसे kaimur.nic.in के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि :-अनुमण्डल पदाधिकारी, भुआ को सादर सूचनार्थ समर्पित। अनुरोध है कि अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि :-माननीय मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद/सशक्त स्थायी समिति के सदस्य, नगर परिषद भुआ को सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि :-उप विकास आयुक्त, कैमूर (भुआ) को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि :-जिला पदाधिकारी, कैमूर (भुआ) को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद भुआ